न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीएसएम न. 2024/86
मुकदमा नम्बर 42/2024 दायर दिनांक–15.03.2024

1. केशरदेव पुत्र रिछपाल
2. सुभाष पुत्र रिछपाल जाति माली निवासीगण माणकली की ढाणी तन कानाका वाली ढाणी, ढाणिया पंचायत नवलगढ, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

.... वादी

बनाम

1. श्रीराम पुत्र रिछपाल जाति माली निवासी माणकली ढाणी तन कानाका वाली ढाणी , ढाणियां पंचायत, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ

.... प्रतिवादी

दावा – विभाजन

प्रतिनिधत्वः–

वकील वादी– श्री दयाराम सैनी, श्री पंकज जांगिड
प्रतिवादी लगा. 1– एक पक्षीय
प्रतिवादी सं. 2– पैरो. राज

–ःप्राथमिक निर्णयः–

निर्णय दिनांक 26.07.2024

वाद वादी इस कदर पेश किया गया कि,ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ में स्थित भूमि खाता सं. नया 205 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 556,612/553,613/553 रकबा क्रमशः 0.04, 0.17, 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 का विधिवत विभाजन किया जावे।

वादी वादी पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी सं. 2 की और से पैरो. राज उपस्थित। श. वादी में केशरदेव व सुभाष के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी हिस्से की खातेदारी की भूमि का विधिवत विभाजन करवाने का अधिकार है। आवेदक का वाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व रिकार्ड तथा साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर सावित है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी पोषणीय तथा न्यायोचित होने से प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि, ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ में स्थित भूमि खाता सं. नया 205 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 556,612/553,613/553 रकबा क्रमशः 0.04, 0.17,

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झु...)

Scanned with CamScanner

0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 का दर्ज हिस्से तथा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब पेश न्यायालय किया जावे।

तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि, उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के बारे में इस न्यायालय के निर्णयानुसार, तथा माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 को मध्यनजर रखते हुए,पक्षकारों को नोटिस द्वारा सूचित करते हुये तथा पक्षकारान की मौजुदगी में युक्तियुक्त रास्तो को ध्यान में रखते हुए, घोषित हिस्सेनुसार, तथा कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा (अलग–अलग रंगो से दर्शाते हुये) तैयार कर अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे। विभाजन प्रस्ताव के साथ पक्षकारों को जारी किये गये नोटिस तामील भी संलग्न कर आवश्यक रूप से भिजवाये जावे तथा यथा संभव पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावे। **मौका कमीशनर फीस राशि 200/– रूपये, अक्षरे– दो सौ रूपये 30 दिवस मे विभाजन प्रस्ताव पेश न्यायालय करने की शर्त पर वादी द्वारा देय होगी। उक्त कमीशन राशि का भुगतान वादीगण द्वारा किया जावेगा।** तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़.

जीएसएम न. 2024 / 86

मुकदमा नम्बर 42 / 2024

दायर दिनांक–15.03.2024

(केशरदेव वगै0 बनाम श्रीराम वगै0)

दावा – विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय तथा न्यायोचित होने से प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि, ग्राम जोहड की ढाणी पटवार हल्का ढाणियां नवलगढ़ में स्थित भूमि खाता सं. नया 205 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 556,612 / 553,613 / 553 रकबा क्रमशः 0.04, 0.17, 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 का दर्ज हिस्से तथा मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अविलम्ब पेश न्यायालय किया जावे।

तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि, उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के बारे में इस न्यायालय के निर्णयानुसार, तथा माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 को मध्यनजर रखते हुए,पक्षकारों को नोटिस द्वारा सूचित करते हुये तथा पक्षकारान की मौजुदगी में युक्तियुक्त रास्तो को ध्यान में रखते हुए, घोषित हिस्सेनुसार, तथा कब्जे काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा (अलग–अलग रंगो से दर्शाते हुये) तैयार कर अविलम्ब इस न्यायालय को प्रेषित करे। विभाजन प्रस्ताव के साथ पक्षकारों को जारी किये गये नोटिस तामील भी संलग्न कर आवश्यक रूप से भिजवाये जावे तथा यथा संभव पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावे। **मौका कमीशनर फीस राशि 200/– रूपये, अक्षरे– दो सौ रूपये 30 दिवस मे विभाजन प्रस्ताव पेश न्यायालय करने की शर्त पर वादी द्वारा देय होगी। उक्त कमीशन राशि का भुगतान वादीगण द्वारा किया जावेगा।**

जन..........–.............. मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 26 माह 07 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

मुद्दई	रुपया पैसे	मुद्दासलह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प [illegible]	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–

322

Scanned with CamScanner